न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—253/2011/225 (2011/00063)

1. बजरंगलाल पुत्र हरचन्द्रा, जाति मीणा, निवासी मोडी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र हरचन्द्रा, जाति मीणा, निवासी मोडी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. हरचन्द्रा पुत्र जगन्नाथ, जाति मीणा, निवासी मोडी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 30.5.2011 अंतर्गत वाद संख्या 100/2008.

उपस्थितः—

1. श्री समीर अहमद खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 30.5.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मोडी की आराजी खसरा नंबर 815, 844, 847, 848, 857, 858, 814 अवस्थित है। अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 हिन्दू परिवार के सदस्य है । उपरोक्त आराजी वादी की पैतृक सम्पति है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 2 पिता है । उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा काश्त है और मौके पर आधे—आधे हिस्से पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी संख्या 2 वृद्धावस्था में है जो अप्रार्थी संख्या 1 के पास रहता चला आ रहा है तथा उपरोक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम बतौर खातेदारी दर्ज है । अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को बहकावे में ले रखा है जबकि मौके पर भौतिक रूप से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा होकर काबिज

काश्त है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के नाम एवं अपने पोतों के नाम उपरोक्त आराजी का बेचान कर हस्तातंरण करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी का विधिवत् बंटवारा नहीं हो रखा है । अतः वाद के विचाराधीन रहते ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे और न ही किसी अन्य से करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 30.5.2011 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी है जिसमें दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा बनता है क्योंकि उपरोक्त वर्णित आराजी पर मौके पर 1/2, 1/2 हिस्से पर भौतिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज होने से रेस्पो0 संख्या 1 उनकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर उपरोक्त वर्णित आराजी को अपने एवं अपने वारिसान के नाम दर्ज करवाना चाहता है । उक्त तथ्य को अधी0न्याया0 ने समझते बिना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज करने का निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी है जिसके संबंध में जमाबंदी संवत् 2041 की प्रति प्रस्तुत की थी जिससे यह स्पष्ट था कि जगन्नाथ के स्थान पर मांगीलाल, सोहनलाल, रामदेव पि0 कालू 1/2 व हरचन्द्रा, गणपत, लखमा, कजोड़, जगदीश पि0 जगन्नाथ 1/2 का अंकन स्वीकार हुआ का नोट लगा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी हरचंदा के नाम जगन्नाथ के फौत होने पर दर्ज हुई जिसमें विवादित आराजी के पुश्तैनी होने का पूर्ण सबूत था किन्तु इसके बावजूद भी अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने में भूल की है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि प्रथमदृष्टया प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2041 के अनुसार वादग्रस्त आराजी हरचंदा पुत्र जगन्नाथ अप्रार्थी संख्या 2 के नाम है आया यह आराजी हरचंदा को विरासत में प्राप्त हुई अथवा उसकी स्वअर्जित सम्पति है इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया है यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व पूर्ण परीक्षण से ही तय किया जा सकता है, अंकित किया है । जब अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह मान लिया कि विवादित आराजी प्रथमदृष्टया जगन्नाथ से आना मान ही लिया है तो उसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिये था किन्तु उन्होंने पोषणीय नहीं होने के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 212 राज0काश्त0अधि0 में दिये गये प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर कोई निर्णय पारित नहीं किया जबकि मुख्यतः धारा 212 के निर्णय के लिये उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् ही निर्णय पारित करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे

तथा विवादित आराजी बाबत् रेस्पो0 को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पैतृक सम्पति न होकर रेस्पो0 संख्या 2 की स्वअर्जित सम्पति है । विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त न होकर अप्रार्थी संख्या 2 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 2 के जीवनकाल में अपीलांट को विवादित आराजी में किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत् रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट खारीज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा ग्राम मोडी तह0 केकड़ी स्थ्िज्ञत भूमि वर्तमान खसरा नंबर 815, 844, 847, 848, 857, 858, व 814 के बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 जो कि सगा भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 जो कि पिता है के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि पुश्तैनी होने से उसका हक व हिस्सा है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पाबंद किया जावे । जवाब में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कथन किया कि भूमि पुश्तैनी न होकर स्वंय की भूमि है जिसमें प्रार्थी का हक व हिस्सा नहीं है । वर्तमान खसरा नंबर के पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नंबर 844, 847, 848, 857, 858, 814 के साबिक खसरा नंबर क्रमशः 549, 551, 551, 526, 526 एवं 555 बनना प्रमाणित है । वर्किग जमाबंदी संवत् 2041 के खसरा नंबर 63 में खसरा नंबर 55 में खातेदार एवं खसरा नंबर 123 में 551 मिन 55 मिन 526 व 549 भूमि हरचंदा पुत्र जगन्नाथ कौम मीना साकिन देह गेर खातेदार दर्ज है । भूमि पुश्तैनी हो, इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है । साथ ही कस्टम के अनुसार पिता के जीवनकाल मे पुत्र हकदार हो, ऐसा कोई कानूनी दृष्टांत भी पेश नहीं किया है । प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जाति मीणा दर्शित की गई है जिस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) लागू नहीं होती है ।

7. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है । फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.5.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर